न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–95/2016–17
राज्य बनाम विशुनी गंझु ग्राम–बेलगडा।

कमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

–:आदेश:–

16.9.25

अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

जमाबंदीदार को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी कोई राजस्व कागजात दाखिल नही किया गया। प्रतिवादी को दिनांक–26.06.2016, 26.02.2022, 26.02.2020 एवं 14.05.2025 को नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला के उपरांत भी न तो प्रतिवादी उपस्थित हुए और न ही कोई कागजात ही दाखिल किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विशुनी गंझु ग्राम–बेलगडा के खाता नं0 36 प्लॉट नं0 320 रकवा 0.72 ए0 एवं प्लॉट 792 रकवा 1.28 ए0 कुल रकवा 2.00 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं भूमि का किस्म जंगल–झाडी है जो पंजी II के पृष्ट सं0 105/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया । उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि प्रथम रसीद 1973–74 में एवं द्वितीय रसीद 1998–99 में निर्गत है। जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। स्पष्ट है कि यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम प्राधिकार के आदेश के कायम हुई है।

विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्र. तिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षतिकारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् मौजा–बेलगडा के खाता नं0 36 प्लॉट नं0 320 रकवा 0.72 ए0 एवं प्लॉट 792 रकवा 1.28 ए0 कुल रकवा 2.00 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 105/1 पर बिशुनी गंझु ग्राम बेलगडा के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

16.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.10.17 16:54:25 +05:30
Location: 10.84.229.57

Scanned with OKEN Scanner